प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर एवं
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर,
हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर।

2- समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन),
जनपद-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर,
हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2021

विषय: 10 वर्ष एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने क्रमशः डीजल एवं पेट्रोल वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ओ.ए.नं0 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम भारत सरकार एवं अन्य में National Green Tribunal (NGT) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल वाहन एवं 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल वाहन के संचालन को प्रतिबन्धित करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल वाहनों को De-register किया जाय तथा ऐसी वाहनों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र उन जनपदों के लिए निर्गत किया जाये, जहाँ पर vehicular density सबसे कम हो।

2- इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.11.2016 द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:-

"We clarify that vehicles plying on the roads or otherwise found to be polluting are not challaned merely under the Motor Vehicles Act but also under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986…..

"We reiterate that these are not only the offences under the Motor Vehicles Act and we do hope that all concerned would take note there of that vehicles are being seized under the provisions of the above two said Acts and under the orders of the National Green Tribunal in relation to environmental offences/violation."

3- प्रस्तर-1 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में एनसीआर में पंजीकृत 10 वर्ष से पुरानी डीजल एवं 15 वर्ष से पुरानी पेट्रोल वाहनों को अनापत्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या-414 एसटीए/2017 दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा 34 जिलों को चिह्नित भी किया जा चुका है।

4- इस प्रकार स्पष्ट है कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबन्धित है तथा जो वाहनें इस आयु सीमा के बाद पंजीकृत हैं वह अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अन्य जनपदों में जा सकती हैं।

5- एन.सी.आर. में वायु की गुणवत्ता का अनुश्रवण "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग" द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल वाहन एवं 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल वाहनों के संचालन पर पूर्णतः रोक लगायी जाय तथा ऐसे वाहनों के संचालित पाये जाने पर इनके प्रति राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अपेक्षानुसार निरूद्ध (seized) करने की कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-56(1)/तीस-4-2021 समदिनांकित।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), मेरठ
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।